RAJASTHAN STATE MINES & MINERALS LIMITED

(A GOVERNMENT OF RAJASTHAN ENTERPRISE)
4, MEERA MARG, UDAIPUR - 313 001

Phone No. : 521724/527135/528681-85
Fax : 0294 - 523170
Gram: RAJMINES

Registered Office: 89-90, Janpath, Lal Kothi Scheme, Jaipur

No: RSMM/CO/Pers/9 (74)/2013 - 920
Dated: 07 - 08 - 2013
08-08-2013

OFFICE ORDER

The existing Clause 12 (ii) (d) of the Scheme " ***RSMML Retired Employees Medical Reimbursement under Medical Relief Fund*** " is hereby substituted as under:

> *"The reimbursement of medical expense bills shall be made on quarterly basis. The members of the Scheme would need to submit the medical bills to the Member Secretary within a period of six months from the date of the bill. The reimbursement of the bills received till 7th day of the following month of each quarter would be made by 20th day of that month in the Bank Account of the respective member".*

This amendment is effective from the date of implementation of the scheme.

7/8/13
Executive Director (Admn.)

Copy to:

- PS to MD, CO
- All SBU Heads, DGM(Admn)
- All HODs, CO/Dy. CMO, Jkt./MO, CO
- Notice Boards – All offices & Mines/Work place
- Concerned file/Master file

SM (Acctt)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट कार्यालय, 4, मीरा मार्ग, उदयपुर–313001
FAX: (0294)5100305, 2428770 PH : 2428796, 2428763-67
E-mail: rsmml@sancharnet.in

क्रमांकः आरएसएमएम / सीओ / कार्मिक / 19(30) / 2010–11 / 344
दिनांकः 18 मई, 2012

शुद्धि पत्र

हमारे परिपत्र क्रमांक आरएसएमएम / सीओ / कार्मिक / 19(30) / 2010–11 / 333 दिनांक 17.05.2012 के अन्तिम पैरा की प्रथम पंक्ति में लिखित दिनांक 31.11.2011 के स्थान पर 31.10.2011 पढ़ा जावे।

(बालमुकुन्द असावा)
मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासन)

प्रतिलिपिः–1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय।
2. वित्तीय सलाहकार, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर / खनिज भवन, जयपुर।
3. समस्त एस.बी.यू. प्रमुख।
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन), कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
5. चिकित्सा प्रभारी।
6. ट्रस्टी, पी.एफ., कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
7. समस्त सूचना पट्ट।
8. आरएसएमएम वर्कर्स फैडरेशन।

मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासन)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
कॉरपोरेट कार्यालय, 4, मीरा मार्ग, उदयपुर–313001
FAX: (0294) 5100305, 2428770 PH : 2428796, 2428763-67
E-mail: rsmml@sancharnet.in

क्रमांकः आरएसएमएम / सीओ / कार्मिक / 19(30) / 2010–11 / 333
दिनांकः 17 मई, 2012

परिपत्र

हमारे परिपत्र क्रमांक आरएसएमएम / सीओ / कार्मिक / 19(30) / 2010–11 / 1640 दिनांक 18 / 21 नवम्बर, 2011 के क्रम में संस्थान के समस्त अधिकारियों / कर्मचारियों को सूचित किया जाता है कि दिनांक 31.10.2011 से लागू "सेवा निवृत कर्मचारी / अधिकारी चिकित्सा राहत कोष नियमावली–2011" की क्रियान्विती हेतु विस्तृत योजना इस परिपत्र के साथ समस्त अधिकरियों / कर्मचारियों की जानकारी हेतु प्रसारित की जा रही है।

उपरोक्त योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु इच्छुक अधिकारी / कर्मचारी निर्धारित प्रपत्र में सदस्यता शुल्क रू.2000 / – (रूपये दो हजार मात्र) जमा करवाने का सहमति पत्र दिनांक 10.06.2012 तक अपने विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत कर देवें। सम्बन्धित एस.बी.यू. प्रधान / विभागाध्यक्ष उपरोक्त सहमति पत्र ट्रस्टी, पी.एफ., कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर को भिजवाने की व्यवस्था करावें। साथ ही उनके पे–बैण्ड के अनुसार निर्धारित राशि की क्टौती उनके मासिक वेतन से प्रारम्भ कर दी जावे व कटौती की सूचना प्रतिमाह ट्रस्टी, पी.एफ., कॉर्पोरेट कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करावें।

जो अधिकारी / कर्मचारी दिनांक 31.11.2011 के पश्चात् सेवा निवृत हो चुके हैं, वे उक्त योजना के लाभ हेतु निर्धारित प्रपत्र मय सदस्यता शुल्क व कोष शुल्क रू. 22,000 / – का उदयपुर में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट "RSMML Retired Employees Medical Relief Fund", ट्रस्टी, पी.एफ., कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर को भिजवा सकते हैं।

(बालमुकुन्द असावा)
मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासन)

संलग्नः विस्तृत योजना।

प्रतिलिपिः–1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय।
2. वित्तीय सलाहकार, कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर / खनिज भवन, जयपुर।
3. समस्त एस.बी.यू. प्रमुख। /HOD/JLR.
4. वरिष्ठ प्रबन्धक (प्रशासन), कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
5. चिकित्सा प्रभारी।
6. ट्रस्टी, पी.एफ., कॉर्पोरेट कार्यालय, उदयपुर।
7. समस्त सूचना पट्ट।
8. आरएसएमएम वैलफेयर फैडरेशन। वर्कर्स

मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासन)

राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड
(राजस्थान सरकार का उपक्रम)
4, मीरा मार्ग, उदयपुर–313001
FAX: (0294)5100305, 2428770 PH : 2428796, 2428763-67

क्रमांकः आरएसएमएम/सीओ/कार्मिक/19(30)/2010–11/1640
दिनांकः 18 नवम्बर, 2011
21

परिपत्र

राजस्थान सरकार द्वारा "राजस्थान स्टेट माईन्स एण्ड मिनरल्स लिमिटेड सेवानिवृत कर्मचारी/अधिकारी चिकित्सा राहत कोष नियमावली, 2011" की स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त दिनांक 31.10.2011 को कार्यरत संस्थान के कर्मचारियों/अधिकारियों को सेवानिवृति के पश्चात् चिकित्सा व्यय पुर्नभरण की सुविधा का लाभ उक्त नियमों के अनुसार प्राप्त होगा। इस योजना में सम्मिलित होने के लिये इच्छुक कर्मचारी/अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में सदस्यता शुल्क रू.2000/– (रूपये दो हजार मात्र) जमा कराने की सहमति प्रदान करेंगे जिसके पश्चात् यह राशि उनके वेतन से पाँच (5) बराबर मासिक किश्तों में काटी जावेगी। उपरोक्त सहमति पत्र अपने विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा जिन्हें सम्बन्धित एस.बी.यू. प्रधान, मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासन), कॉरपोरेट कार्यालय, उदयपुर (राज.) को अग्रेषित करेंगे।

प्रत्येक सदस्य को इस चिकित्सा राहत कोष की सदस्यता शुल्क के अलावा कम से कम रू.20,000/– (रूपये बीस हजार मात्र) जमा कराना अनिवार्य होगा। इस कोष हेतु सदस्यों की मासिक कटौती उनके वेतन से निम्नानुसार होगी :–

पे–बैण्ड	अंशदान की राशि प्रति माह
1S व 1	85/– रूपये
2	130/– रूपये
3	190/– रूपये
4	265/– रूपये

सदस्य द्वारा इस योजना के लागू होने की दिनांक के पश्चात् सेवानिवृत/नियत सेवा पूर्ण कर सेवा त्यागने पर उसे उक्त कोष की शेष राशि एक मुश्त जमा करानी होगी, बशर्त कि वे किसी ऐसे संस्थान में नियोजित नहीं हों जिसमें चिकित्सा पुर्नभरण लाभ लागू हो।

इस योजना की विस्तृत जानकारी एवं क्रियान्विति हेतु अलग से आदेश प्रसारित किये जा रहे हैं।

मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासन)

संलग्नः प्रारूप–सदस्यता प्रपत्र।

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, प्रबन्ध निदेशक महोदय।
2. वित्तीय सलाहकार।
3. समस्त समूह महाप्रबन्धक।
4. संयुक्त विधि परामर्शी।
5. वरि.प्रबन्धक (प्रशासन), कॉर्पोरेट कार्यालय।
6. समस्त सूचना पट्ट।
7. महासचिव, आर.एस.एम.एम. वर्कर्स फेडरेशन।

मुख्य (कार्मिक एवं प्रशासन)